भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न सं. *289**
**दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत**

**भारत और ब्राजील के बीच समझौता ज्ञापन**

***289. एडवोकेट चन्द्र शेखरः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 21 फरवरी 2026 को हस्ताक्षरित भारत-ब्राजील समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, हरित वित्त सुलभ एमएसएमई की संख्या, शुरू की जाने वाली संयुक्त परियोजनाओं, निर्यात लाभ, उत्सर्जन में कमी और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार जैसे परिणामों के लिए कोई विशिष्ट और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समझौता ज्ञापन के हरित परिवर्तन संबंधी उद्देश्यों को व्यावहारिक हरित ऋण में बदलने के लिए समर्पित कोष के सृजन, प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण के उपायों या द्विपक्षीय तंत्र सहित उठाए जाने वाले प्रस्तावित ठोस कदम क्या हैं;

(ग) ये पहलें (i) सितंबर 2025 तक एमएसएमई ऋण में 17 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से यह राशि 65.2 लाख करोड़ रुपए होने के आरबीआई के आंकड़ों, (ii) नीति आयोग के 'एमएसएमई के हरित परिवर्तन के लिए रोडमैप' (जनवरी 2026) और (iii) विश्व बैंक की मार्च 2025 की 'एमएसएमई फाइनेंस गैप रिपोर्ट', जिसमें वैश्विक स्तर पर 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त संबंधी अंतर का अनुमान लगाया गया है, के साथ किस प्रकार संरेखित हैं;

(घ) क्या इस समझौता ज्ञापन में एमएसएमई सतत (जेडईडी) प्रमाणन योजना, विशेषकर कम कार्बन और 'जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट' कार्य-प्रणालियों को अपनाए जाने को बढ़ावा देने और जेडईडी प्रमाणन को हरित वित्त की बेहतर सुलभता, अतिरिक्त प्रोत्साहन और प्रशिक्षण से जोड़ने के उपायों की परिकल्पना की गई है; और

(ङ) महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के समक्ष विश्व स्तर पर अनुमानित 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त की कमी के दृष्टिगत, लाभ का एक समान वितरण करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले और सूक्ष्म उद्यमों सहित अल्पसेवित वर्गों को प्राथमिकता देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री**
**( श्री जीतन राम मांझी)**

**(क) से (ङ):** विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

**"भारत और ब्राजील के बीच समझौता ज्ञापन" के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत एडवोकेट चन्द्र शेखर के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *289 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

**(क) से (ङ):** भारत और ब्राजील के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दोनों देशों में एमएसएमई के विकास और संवर्धन के लिए द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन में चिन्हित क्षेत्रों और परियोजनाओं में सहयोग की परिकल्पना की गई है। समझौता ज्ञापन के दायरे में, दोनों देशों ने एमएसएमई के विकास और संवर्धन के लिए संयुक्त रूप से सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एमएसएमई को हरित परिवर्तन को बढ़ावा देने, उत्पादकता में सुधार करके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने और सतत विकास के लिए उनकी क्षमता के सुदृढ़ीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाना है। सहयोग के इन क्षेत्रों को आगामी संयुक्त सहयोगों के माध्यम से धीरे-धीरे साकार किए जाने का अनुमान है। समझौता ज्ञापन के दायरे में, समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी और दोनों पक्षों के लिए सहमत सहयोग के मूल क्षेत्रों की देखरेख के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का प्रस्ताव है। यह समझौता ज्ञापन पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

भारत सरकार सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही है। इनमें हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने, चक्रीय अर्थव्यवस्था पद्धतियों को प्रोत्साहित करने, संपार्श्विक-मुक्त ऋण की बेहतर उपलब्धता प्रदान करने, सतत विनिर्माण पद्धतियों का संवर्धन और वैश्विक बाजारों एवं मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए सहायता शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं: (i) एमएसई– हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्त-पोषण (एमएसई-गिफ्ट) स्कीम, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता के लिए ब्याज सब्सिडी और जोखिम-साझाकरण सहायता प्रदान करती है; (ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम – चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश स्कीम (एमएसई-स्पाइस), जो ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी, जागरूकता सृजन और सूचना प्रसार के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। यह स्कीम संसाधन दक्षता और सतत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; (iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीटी-एमएसई), ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे एमएसई के समक्ष वित्तपोषण की कमी को दूर करने में सहायता प्राप्त होती है (iv) सतत विनिर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, जीरो डिफ़ेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) स्कीम एमएसएमई को प्रतिस्पर्धात्मकता और पर्यावरणीय संधारणीयता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है; एमएसएमई को जेड प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए निःशुल्क प्रमाणन भी शामिल है; (v) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी की सुविधा प्रदान करके वैश्विक बाजारों तक पहुँचने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होने में सहायता प्रदान करती है; और (vi) आईसी स्कीम के अंतर्गत पहली बार के निर्यातकों का क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) घटक के अंतर्गत, एमएसई को निर्यात संवर्धन परिषदों में पंजीकरण कराने, निर्यात बीमा प्रीमियम और परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क की प्रतिपूर्ति करके निर्यातक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एमएसएमई के समावेशी विकास और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों एवं सूक्ष्म उद्यमों सहित वंचित वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय विभिन्न स्कीमों और पहलों के माध्यम से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करता रहा है, जिनमें ऋण गारंटी कवरेज, रोजगार सृजन और बाजार संपर्क शामिल हैं। सरकार ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित उद्यम (एससी-एसटी) और महिला स्वामित्व वाले उद्यमों से क्रमशः 4% और 3% सार्वजनिक खरीद लक्ष्य अधिदेशित किया है। राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एससी-एसटी उद्यमियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से उनकी आर्थिक क्रियाकलापों को मुख्यधारा में लाना है। यह विशेष ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम के माध्यम से प्रौद्योगिकी और मशीनरी के उन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान करती है। वित्त की कमी को दूर करने के लिए, सरकार ने सीजीटी-एमएसई स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2000-01 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 28.02.2026 तक) की अवधि के लिए 13,16,741 करोड़ रुपये की 1,39,39,040 गारंटियां स्वीकृत की हैं, जिनमें महिला स्वामित्व वाले एमएसई को 2,06,883 करोड़ रुपये की 30,74,531 गारंटियां प्रदान की गई हैं। यह महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए *विकसित भारत* के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

***